

सीबीडीटी के दिनांक 12/3/2008 के परिपत्र संख्या 3/2008 के संबंध में स्पष्टीकरण - के संबंध में।

परिपत्र संख्या 16/2014 [एफ.सं.142/14/2007-टीपीएल(भाग)], दिनांक 17-11-2014

आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XIX-A में आयकर निपटान आयोग (ITSC) द्वारा मामलों के निपटान से संबंधित प्रावधान हैं। उक्त अध्याय में निहित प्रावधानों को वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया और एक संशोधित निपटान योजना लागू की गई। CBDT द्वारा दिनांक 12.03.2008 को जारी व्याख्यात्मक परिपत्र संख्या 3/2008, पैरा 61 (उप-पैरा 61.1 से 61.17 तक) संशोधित निपटान योजना से संबंधित है।

2. 2008 के परिपत्र संख्या 3 का पैरा 61.2 इस प्रकार है:—

"61.2 विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत, कोई भी करदाता किसी भी आयकर प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपने मामले की कार्यवाही के किसी भी चरण में आयोग को आवेदन कर सकता है। 31 मई, 2007 के बाद, कोई भी करदाता केवल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही आयोग को आवेदन कर सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि (क) चूंकि धारा 143(1) के अंतर्गत सूचना कर निर्धारण आदेश नहीं है, इसलिए धारा 143(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने के बाद निपटान हेतु आवेदन दायर करने पर कोई रोक नहीं होगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस जारी करने की समय-सीमा समाप्त हो गई है या नहीं; (ख) कर निर्धारण केवल आवेदक को कर निर्धारण आदेश की तामील की तिथि पर ही पूरा हुआ माना जाएगा।"

3. परिपत्र संख्या 3/2008 के पैरा 61.2 में अनजाने में यह कहा गया है कि मूल्यांकन, आवेदक को मूल्यांकन आदेश की तामील की तिथि पर ही पूरा हुआ माना जाएगा। यह कथन आयकर अधिनियम की धारा 245ए के खंड (ख) के स्पष्टीकरण में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि किसी भी मूल्यांकन वर्ष के मूल्यांकन की कार्यवाही उस तिथि को समाप्त मानी जाएगी जिस तिथि को मूल्यांकन किया गया है।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, 2008 के परिपत्र संख्या 3 के पैरा 61.2 को 1 जून, 2007 से निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"61.2 मौजूदा प्रावधानों के तहत, कोई भी करदाता किसी भी आयकर प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपने मामले की कार्यवाही के किसी भी चरण में आयोग को आवेदन कर सकता है। 31 मई, 2007 के बाद, कोई भी करदाता केवल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही आयोग को आवेदन कर सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि (क) चूंकि धारा 143(1) के तहत सूचना एक कर निर्धारण आदेश नहीं है, इसलिए धारा 143(1) के तहत सूचना प्राप्त होने के बाद निपटान के लिए आवेदन दायर करने पर कोई रोक नहीं होगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी करने की समय-सीमा समाप्त हो गई है या नहीं; (ख) कर निर्धारण उस तिथि को पूरा हुआ माना जाएगा जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है।"

■ ■